संख्या -15/2020 / ए-1-764 /दस-2020-10(48)/ 2013

प्रेषक,

पंकज सक्सेना ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2020

विषय : वेतन सम्बन्धी आयकर की कटौती-आयकर अधिनियम-1961 की धारा-192 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के परिपत्र के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत् परिपत्र शासनादेश संख्या-14/2020/ए-1-12भा0स0/दस-2020-10(48)/2013, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020 **http://shasanadesh. up.gov.in** पर उपलब्ध है।

2- अत: अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त परिपत्र को आवश्यकतानुसार डाउनलोड करना चाहें।

भवदीय,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव ।

संख्या - 15 /2020 / ए-1-764 (1) /दस-2020-10(48)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव /सचिव उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव विधान सभा एवं प्रमुख सचिव विधान परिषद् उत्तर प्रदेश।
(3) सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
(4) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इन अनुदेशों से राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों को अवगत कराने का कष्ट करें।
(5) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(6) वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
(7) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in